इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 08 जनवरी 2019—पौष 18, शक 1940

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2019

क्र. एफ–1–ए–10–2018–बी–ग्यारह.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं" (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में, निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 5 में, परंतुक के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात :–

    "परन्तु यह और भी कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24/1/2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11–17/1/2014/नियम/चार दिनांक 30.9.2014 व्दारा समयमान वेतनमान लागू होगा । इस संबंध में समय–समय पर शासन व्दारा जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे ।"

2. नियम 8 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ड.) का लोप किया जाए ।

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :–

    "9 निरर्हताएं –

    (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित के लिए निरर्हता माना जाएगा ।
    (2)कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो सेवा/पद पर में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा ।

परन्तु कोई अभ्यर्थी जिसकी एक जीवित संतान हो और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता हों, किसी सेवा/नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा !

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा.

परन्तु जहाँ अभ्यार्थी के विरूद्ध न्यायालय में मामला लंबित है, वहाँ उसकी नियुक्ति आपराधिक प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी,

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो, सेवा के लिये अपात्र होगा ।"

4. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :—

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदो के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंजीयक	01	मध्यप्रदेश, फर्म्स एवं संस्थाऐं राजपत्रित सेवा श्रेणी—1	123100—215900	
2	उप पंजीयक	03	—"—	67300—206900	
3	सहायक पंजीयक	07	मध्यप्रदेश, फर्म्स एवं संस्थाऐं राजपत्रित सेवा श्रेणी—2	56100—177500	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण व्दारा
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिये)	(नियम 6(1)(ग) देखिये)
1	2	3	4	5	6
फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश	**श्रेणी–1** पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, राजपत्रित श्रेणी–1 1 पंजीयक 2 उप पंजीयक	 01 03	प्रतिशत ——— ———	प्रतिशत 100 100	——
——"——	**श्रेणी–2** पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं, राजपत्रित सेवा श्रेणी–2 1 सहायक पंजीयक	 07	प्रतिशत 50	प्रतिशत 50	——

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणित अर्हताएं	टिप्पणियॉ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फर्म्स एवं संस्थाएं	मध्यप्रदेश फर्म्स एव संस्थाऐं राजपत्रित अधिकारी सेवा श्रेणी–दो सहायक पंजीयक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला / विज्ञान / टैक्नालॉजी या इंजीनियरिंग की उपाधि सम्मिलित है या वाणिज्य अथवा कृषि में द्वितीय श्रेणी उपाधि	

टीप :– तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदो के अभ्यर्थियों के लिए मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है ।

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	पदोन्नति हेतु सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम–13 देखिये)
फर्म्स एवं संस्थाएं	फर्म्स एवं संस्थाऐं राजपत्रित अधिकारी सेवा **श्रेणी–एक**			
	उप पंजीयक	पजीयक	5 वर्ष	1. मुख्य सचिव – अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन–सदस्य 3. संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव-- सदस्य 4. प्रशासकीय विभाग के उप सचिव--सदस्य 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट समकक्ष अधिकारी
—"—	**श्रेणी–दो**			
	1.सहायक पंजीयक	उप पंजीयक	5 वर्ष	1.मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवाउसके व्दारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी-- अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सबंधित विभाग का सचिव-- सदस्य 3. सबंधित विभाग प्रमुख--सदस्य 4.पदाविहित समकक्ष अधिकारी व्दारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य – सदस्य
	2.निरीक्षक/अधीक्षक	सहायक पंजीयक	5 वर्ष	

S.No/ F 1A-10/2018/B-11

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Firms and Societies (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. in rule 5, at the end of the proviso, for full stop, the colon shall be substituted, thereafter the following proviso shall be added, namely :-

   "Provided further that the time scale shall be issued by the Finance Department's Circular No. F 11/1/2008/RULE/FOUR dated 24/1/2008 and Circular No. F 11-17/1/2014/RULE/FOUR Dated 30/9/2014. In this regard, the guidelines issued by the State Government from time to time shall be applicable.".
2. In Rule 8, in sub rule (1) clause (e) shall be omitted.
3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely :-

   "9. Disqualification.-

   (1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him from appearing in examination/ selection.

(2) Any candidate who has married earlier to the minimum age fixed for the marriage shall not be eligible for appointment in the service.

(3) Any candidate, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living children and next delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) Any candidate, who has been convicted of any offence against woman, shall not be eligible for the service or the post:

Provided that where such cases are pending against any candidate in any court, the matter of his appointment shall be kept pending till final disposal of such criminal case.

(5) If a candidate has more than one living wife or a woman candidate married to a person who has already a living husband shall not be entitled for appointment/selection.".

5. For the existing Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(see rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			M.P.Firms and societies Gazetted service		
1.	Registrar	1	Class-I	123100-215900	
2.	Deputy Registrar	3	--do--	67300-206900	
3.	Assistant Registrar	7	M.P.Firms and societies Gazetted service Class-II	56100-177500.	

SCHEDULE-II
(See rule 6)
Method of Recruitment

Name of department	**Name of service**	**Total number of duty posts**	**Percentage of posts to be filled in**		**By transfer of persons from other services [see rule 6 (c)]**
			By direct recruitment [see rule 6(a)]	**BY promotion of the members of the service [see rule 6 (b)]**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FirmS and societies	**Class-I** Registrar	01	-	100 percent	--
	Class-I Deputy Registrar	03	-	100 percent	--
	Class-II Assistant Registrar	07	50 percent	50 percent	--

SCHEDULE-III
[Sec rule 8 (2)]

Name of the Department	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Firms and societies	M.P. Firms and societies Gazetted service Class II				
	Assistant Registrar	21 years	As per the instructions of GAD	A Degree from a recognized University in Arts/Science/ Technology or Engineering. Or Degree in Commerce or Agriculture in IInd Division	

NOTE-For all the posts in the third and fourth grade candidates live registration in the employment office of the State of Madhya Pradesh is mandatory.

SCHEDULE-IV

(see rule 13)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of service required for promotion	Name of the members of departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Firms and Societies Gazetted Service				
Industrial Policy and Investment Promotion Department	Firms and societies Gazetted service **Class-I**			
Firms and societies	Deputy Registrar	Registrar	5 years	1. Chief Secretary - **Chairman** 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh - **Member** 3. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary of the concerning department - **Member** 4. Deputy Secretary of the Administrative Department - **Member** 5. One member from Scheduled Castes/Scheduled Tribes as nominated by the designated equivalent officer - **Member**

	Class-II			
	1. Assistant Registrar	Deputy Registrar	5 years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or the officer nominated by him - **Chairman** 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary of the concerning Department - **Member** 3. Head of the Concerning Department - **Member** 4. One member from Scheduled Castes/Scheduled Tribes as nominated by the designated equivalent officer **-Member.".**
	2. Inspector/ Superintendent	Assistant Registrar	5 years	

क्र. एफ–1–ए–09–2018–बी–ग्यारह.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं" (तृतीय वर्ग) सेवा भरती नियम, 1993 में, निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम–5 में, परंतुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोडा जाए, अर्थात :–

"परंतु यह और भी कि समयमान वेतनमान वित्त विभाग व्दारा जारी किए गए परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24/1/2008 एवं परिपत्र कमांक एफ 11–17/2014/नियम/चार दिनांक 30.9.2014 के अनुसार लागू होगा और इस संबंध में समय–समय पर शासन व्दारा जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे ।"

2. नियम 8 में खण्ड (एक) में,–

(1) उप–खण्ड (ड) का लोप किया जाएं,
(4) उप–खण्ड (झ) में, विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी कमांक 1 के रूप में कमांकित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां जोडी जाएं, अर्थात :–
"टीपः 2 किसी भी दशा में, इस नियम में उपबंधित समस्त छूटों को सम्मिलित करने के पश्चात् समस्त प्रवर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी,
"टीपः 3 अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार की जाएगी ।"

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् :–

"9 निरर्हता –

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने हेतु किसी भी साधन व्दारा किया गया कोई भी प्रयास उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित के लिए नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा निरर्हता माना जा सकेगा ।

(2)कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवा या पद के लिए नियुक्ति हेतु निरर्हित नहीं होगा जिसकी पूर्व से ही एक जीवित संतान हो तथा अगला प्रसव 26 जनवरी 2001 अथवा उसके पश्चात हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हो !

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति या पद के लिए पात्र नहीं होगा.

परन्तु जहॉं अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में मामला लंबित हो, वहॉं उसकी नियुक्ति आपराधिक प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉं हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा/चयन के लिये पात्र नहीं होगा ।

4. नियम 14 में, उप–नियम (3) मे, शब्द "लेखा परीक्षा अधिकारी" लोप किए जाएं ।

5. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात :–

अनुसूची—एक

(नियम 4(1) और 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदो के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण तृतीय श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	अधीक्षक	01	अनुसचिवीय	42700—135100
2	निरीक्षक	17	अलिपिकीय	32800—103600
3	लेखा परीक्षक	23	अनुसचिवीय	28700—91300
4	सहायक ग्रेड—एक	02	अनुसचिवीय	28700—91300
5	शीघ्र लेखक	01	अनुसचिवीय	28700—91300
6	सहायक ग्रेड—दो	09	अनुसचिवीय	25300—80500
7	स्टेनो टाइपिस्ट	01	अनुसचिवीय	19500—62000
8	सहायक ग्रेड—तीन	10	अनुसचिवीय	19500—62000
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	09	अनुसचिवीय	19500—62000
10	वाहन चालक	01	तकनीकी	19500—62000
	योग	74		

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की कुल प्रतिशतता		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1)(ग)देखिए)
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिए)	सेवा के सदस्यों से पदोन्नति (नियम 6 (1)(ख)देखिए)	
1	2	3	4	5	6
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐ, मध्यप्रदेश	**तृतीय श्रेणी**				
	अधीक्षक	01	—	100 प्रतिशत	
	निरीक्षक	17	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
	लेखा परीक्षक	23	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
	सहायक ग्रेड—एक	02	—	100 प्रतिशत	
	शीघ्रलेखक	01	100 प्रतिशत	—	
	सहायक ग्रेड—दो	09	—	100 प्रतिशत	
	स्टेनो टायपिस्ट	01	100 प्रतिशत	—	
	सहायक ग्रेड—तीन	10	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	
	डाटा एंट्री आपरेटर	09	100 प्रतिशत	—	
	वाहन चालक	01	100 प्रतिशत		

नोट—सहायक ग्रेड—तीन के बीस प्रतिशत पद उन विभागीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों व्दारा भरे जाएंगे जो हायर सेकेण्डरी या 10+2 पद्धति की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों.

अनुसूची–3
(नियम 8(2) देखिये)
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश.	तृतीय श्रेणी			
	निरीक्षक	18 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा समय–समय पर जारी परिपत्र के अनुसार	(कला / विज्ञान / वाणिज्य) में स्नातक होना चाहिए तथा उसे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा ।
	लेखा परीक्षक	18 वर्ष	---तदैव---	---तदैव---
	शीघ्र लेखक	18 वर्ष	---तदैव---	1. 10+2 शिक्षा पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 2. उसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / मेप आईटी या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कम्प्यूटर टंकण और 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 3. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए :– (एक) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (दो)यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (चार)शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (पॉच)शासकीय आई.टी.आई.व्दारा एकवर्षीय"कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के लिए निम्नलिखित अर्हताए भी विधिमान्य होगी :– बी.ई.(सी.एस.ई / आई.टी) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.

				(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि • ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित कम्प्यूटर सांइस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा
	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	--तदैव--	1. 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 2. उसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/मेप- आईटी या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 3. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिए – (एक) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (दो) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (पॉच) शासकीय आई.टी.आई.व्दारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के लिए निम्नलिखित अर्हताएं भी मान्य होगी :– बी.ई.(सी.एस.ई/आई.टी)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन
	स्टेनो टाइपिस्ट	18 वर्ष	--तदैव--	1 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 2 उसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/मेप- आईटी या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कम्प्यूटर टंकण एवं 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । 3 निम्नलिखित संस्थाओ में से किसी एक से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिए । (एक) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (दो) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ।

				(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (पॉच) शासकीय आई.टी.आई.व्दारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के लिए निम्नलिखित अर्हताएं भी विधिमान्य होगी :- बी.ई.(सी.एस.ई / आई.टी) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ए.आई.सी.टी.ई.इत्यादि से अनुमोदित कम्प्यूटर सांईस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा ।
	डाटा एंट्री आपरेटर	18 वर्ष	---तदैव---	1 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो । 2 उसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / मेप आईटी या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए :- (एक) यू.जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (दो)यू जी.सी.व्दारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (तीन)डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (चार)शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (पांच)शासकीय आई.टी.आई.व्दारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के लिए निम्नलिखित अर्हताएं भी विधिमान्य होंगी :- बी.ई.(सी.एस.ई / आई.टी) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक / एम.ई.इत्यादि ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा।
	वाहन चालक	18 वर्ष	---तदैव---	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा या तो भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिये)
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	उस पद या सेवा का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
1	2	3	4	5
रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, म.प्र. भोपाल	सहायक	अधीक्षक	5 वर्ष	1 रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, मध्यप्रदेश – अध्यक्ष 2 डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, मध्यप्रदेश – –सदस्य 3 असि0 रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, मध्यप्रदेश (प्रभारी स्थापना शाखा) –सदस्य 4 रजिस्ट्रार द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य – सदस्य
	लेखा परीक्षक	निरीक्षक	5 वर्ष	–तदैव–
	सहायक ग्रेड–2 (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	आडीटर	5 वर्ष	–तदैव–
	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	–तदैव–
	सहायक ग्रेड–3 स्टेनोटाइपिस्ट/डाटा एंट्री आपरेटर	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	–तदैव–

S.No/ F1A-09/2018/B-11

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Firms and Societies (Class-III) Services Recruitment Rules, 1993, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 5, in the end of the proviso, for full stop the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :-

   "Provided further that the time scale shall be applicable as per the circular No. F 11/1/2008/RULE/FOUR dated 24/1/2008 and circular No. F 11-17/1/2014/RULE/FOUR dated 30/9/2014. issued by the Finance Department and the guidelines issued In this regard by the State Government from time to time, shall be applicable.".

2. In rule 8, in clause (i),-

   (1) sub-clause (e) shall be omitted;

   (2) in sub-clause (i), Existing Note shall be numbered as Note-1and thereafter the following Notes shall be added, namely

"Note : 2 In any case, after including all the exemptions provided in this rule, the maximum age limit for all categories will not exceed 45 years.

Note : 3 Maximum age will be calculated according to the circular issued by the General Administration Department from time to time.".

3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely :-

"9. Disqualification.-

(1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him from appearing in examination/selection.

(2) Any candidate who has married earlier to the minimum age fixed for the marriage shall not be eligible for appointment in the service.

(3) Any candidate, who has more than two living children and one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) Any candidate, who has been convicted of any offence against woman, shall not be eligible for the service or the post:

Provided that where such cases are pending against any candidate in any court, the matter of his

appointment shall be kept pending till final disposal of such criminal case.

(5) If a candidate has more than one living wife or a woman candidate married to a person who has already a living husband shall not be entitled for appointment/selection.".

4. In rule 14, in sub-rule (3) the words "Audit Officer" shall be omitted.

5. For the existing Schedules-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I

(see rule 5)

Classification of service, scale of pay and number of posts included in the service

Sl. No.	Name of the posts included in the service	Total No. of posts	Classification Class III	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Superintendent	1	Ministerial	42700-135100
2.	Inspector	17	Non-ministerial	32800-103600
3.	Auditor	23	Ministerial	28700-91300
4.	Assistant Grade-I	2	Ministerial	28700-91300
5.	Stenographer	1	Ministerial	28700-91300
6.	Assistant Grade-II	9	Ministerial	25300-80500
7.	Steno Typist	1	Ministerial	19500-62000
8.	Assistant Grade-III	10	Ministerial	19500-62000
9.	Data Entry Operator	9	Ministerial	19500-62000
10.	Driver	1	Technical	19500-62000
	Total	74		

SCHEDULE-II

(See rule 6)

Method of Recruitment

Name of department	**Name of service/ post**	**Total number of duty posts**	**Total percentage of posts to be filled up**		**By transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]**
			By direct recruitment [see rule 6 (1) (a)]	**Promotion by the members of the service [see rule 6 (1)(b)]**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Registrar Firms and societies	Superintendent	01	--	100%	--
	Inspector	17	25%	75%	--
	Auditor	23	50%	50%	--
	Assistant Grade-I	02	--	100%	--
	Stenographer	01	100%	--	--
	Assistant Grade-II	09	--	100%	--
	Steno Typist	01	100%	--	--
	Assistant Grade-III	10	80%	20%	--
	Data Entry Operator	09	100%	--	--
	Driver	01	100%	--	

Note- 20% Direct recruitment post of Assistant Grade-III filled up by Class-IV employees who have passed Higher Secondary or High School 10+2 pattern and have completed 5 years of service.

SCHEDULE-III

[see rule 8 (2)]

Essential educational qualification and general age limit

Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspector	18 years	As per the circular issued by the G.A.D. from time to time.	Must be a graduate in (Arts/Science/ Commerce) and he shall pass accounts training within two years from the date of appointment.
Auditor	18 years	---Do---	---Do---
Stenographer	18 years	---Do---	1. Must have passed higher secondary examination in 10+2 education system or any other equivalent examination. 2. He must have passed computer typing with the speed of 30 words per minute and shorthand with speed of minimum 100 words per minute from the Professional Examination Board /MAP-IT or any institution recognized by the Government. 3. He must have passed 1 year computer diploma/ certificate examination from any of the following institutions:- (i) Diploma from the any University recognized by the UGC (ii) Diploma from the Open University recognized by the UGC (iii) Diploma level exam from DOEACC (iv)Modern office management course from any Government Polytechnic College (v) One year computer operator and programming Assistant (COPA) Certificate from Government I.T.I.. The following qualifications shall also be valid for the computer diploma from the said recognized institutions:- B.E. (C.S.E. /I.T.), / MC.A./ B.C.A/ M.Sc. (I.T./ C.S.)/ B.Sc. (I.T./ C.S.) / M. Tech. / M.E. etc. Polytechnic diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology, approved by AICTE etc.
Assistant Grade-III	18 years	---Do---	1. Must have passed higher secondary examination in 10+2 education system or any other equivalent examination. 2. He must have passed computer typing with the speed of 30 words per minute from the Professional Examination Board /MAP-IT or any institution recognized by the Government. 3. He must have passed 1 year computer diploma/ certificate examination from any of the following institutions:- (i) Diploma from the any University

			recognized by the UGC (ii) Diploma from the Open University recognized by the UGC (iii) Diploma level exam from DOEACC (iv)Modern office management course from any Government Polytechnic College (v) One year computer operator and programming Assistant (COPA) Certificate from Government I.T.I. . The following qualifications shall also be valid for the computer diploma from the said recognized institutions:- B.E. (C.S.E. /I.T.), / MC.A./ B.C.A/ M.Sc. (I.T./ C.S.)/ B.Sc. (I.T./ C.S.) / M. Tech. / M.E. etc. Polytechnic diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology, approved by AICTE etc .
Steno-Typist	18 years	---Do---	1. Must have passed higher secondary examination in 10+2 education system or any other equivalent examination. 2. He must have passed computer typing with the speed of 30 words per minute and shorthand with speed of minimum 80 words per minute from Professional Examination Board /MAP-IT or any institution recognized by the Government. 3. He must have passed 1 year computer diploma/ certificate examination from any of the following institutions:- (i) Diploma from the any University recognized by the UGC (ii) Diploma from the Open University recognized by the UGC (iii) Diploma level exam from DOEACC (iv)Modern office management course from any Government Polytechnic College (v) One year computer operator and programming Assistant (COPA) Certificate from Government I.T.I. . The following qualifications shall also be valid for the computer diploma from the said recognized institutions:- B.E. (C.S.E. /I.T.), / MC.A./ B.C.A/ M.Sc. (I.T./ C.S.)/ B.Sc. (I.T./ C.S.) / M. Tech. / M.E. etc. Polytechnic diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology, approved by AICTE etc .
Data Entry Operator	18 years	---Do---	1. Must have passed higher secondary examination in 10+2 education system or any other equivalent examination. 2. He must have passed computer typing with the speed of 30 words per from the Professional Examination Board /MAP-IT or any institution recognized by the Government. 3. He must have passed 1 year computer diploma/

			certificate examination from any of the following institutions:- (i) Diploma from the any University recognized by the UGC (ii) Diploma from the Open University recognized by the UGC (iii) Diploma level exam from DOEACC (iv)Modern office management course from any Government Polytechnic College (v) One year computer operator and programming Assistant (COPA) Certificate from Government I.T.I. . The following qualifications shall also be valid for the computer diploma from the said recognized institutions:- B.E. (C.S.E. /I.T.), / MC.A./ B.C.A/ M.Sc. (I.T./ C.S.)/ B.Sc. (I.T./ C.S.) / M. Tech. / M.E. etc. Polytechnic diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology, approved by AICTE etc.
Driver	18 years	---Do---	Must have passed Class VIII and must have either a Heavy Vehicles' Driving License or Commercial Vehicles' Driving License.

SCHEDULE-IV

(see rule 13)

Appointment by promotion

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of service required for promotion	Constitution of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Registrar Firms and societies	Assistant	Superintendent	5 years	1. Registrar Firms and societies - -Chairman 2. Deputy Registrar, Firms and societies - Member 3. Assistant Registrar Firms and societies (In-charge of Establishment Section) - Member 4. One member from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes as nominated by the Registrar - Member
	Auditor	Inspector	5 years	- do-
	Assistant Grade-II (Accounts Training passed)	Auditor	5 years	- do-
	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	- do-
	Assistant Grade-III/ Steno-typist/ Data Entry Operator	Assistant Grade-II	5 years	- do-.".

क्रमांक/एफ 1ए–11/2018/बी–ग्यारह

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटीज"(चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1976 में, निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात :–

अनुसूची
(नियम 2 देखिये)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति सीधी या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले अतिरिक्त स्थानों का प्रतिशत	केवल सीधी भरती बाबत्				क्या पदोन्नति मामले में सीधी भरती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	यह पदोन्नति निम्नलिखित क्रम से विचारण में लाई जाएगी
					न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण यदि कोई हो की अवधि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	18000–56900	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	–	–	–	–	भृत्य/प्रोसेस सर्वेन्ट/फर्राश के पद से
भृत्य	09	–,,–	15500–49000	सीधी भर्ती	18	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	आठवी कक्षा पास	–	–	—
प्रोसेस सर्वेन्ट	06	–,,–	15500–49000	सीधी भर्ती	18	–,,–	–,,–	–	–	—
फर्राश	01	–,,–	15500–49000	सीधी भर्ती	18	–,,–	–,,–	–	–	—

S.No/ F1A-11/2018/B-11

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Firms and Societies Fourth Class Service Recruitment Rules, 1976, namely :-

For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

[See rule 2]

Name of Service	Number of Posts	Classification	Pay scale	Percentage of vacancies filled by different methods by direct or promotion of recruitment or by transfer	By Direct Recruitment				Whether the prescribed age and educational qualification for the recruitment in the promotion case will be applicable	This promotion will be considered in the following sequence
					Minimum Age	Maximum Age limit	Educational Qualification	Probation test, if any-Period		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Daftari	01	Fourth Class	18000-56900	By Promotion	-	--	-	-	-	From the post of Peon/ Process Servant/ Farrash
Peon	09	Fourth Class	15500-49000	Direct Recruitment	18	As per the circular issued by the GAD from time to time	8^{th} Pass	-	-	--
Process Servant	06	Fourth Class	15500-49000	Direct Recruitment	18	----Do----	8^{th} Pass	-	-	---
Farrash	01	Fourth Class	15500-49000	Direct Recruitment	18	----Do----	8^{th} Pass	-	-	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उप सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.